

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 11.02.2025

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी, 2025 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/ 566

दिनांक: 11.02.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025, - संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव